महिलाओं की निर्णय क्षमता में संचार व तकनीकि की भूमिका

शोध छात्रा– अभिलाषा गुप्ता
abhi.nami05@gmail.com

शोध सार

नवीन तकनीक और महिला सशक्त प्रस्थिति का संबंध भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है, विशेष रूप से आजमगढ़ जिले के संदर्भ में। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि कैसे संचार युग में महिलाएँ सशक्तता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आजमगढ़ में महिलाओं ने तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। यह शोध महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति संचारगत नवाचारों के प्रभाव, उनकी आवश्यकताओं और विकास की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जबकि डिजिटल युग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के नए अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी उन्हें सही जानकारी, प्रशिक्षण, और समर्थन की आवश्यकता है ताकि वे इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें। महिलाओं को सदियों से पुरुष की केवल जीवन संगनी माना गया है। उनका अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं पश्चिमी देशों में भी देखा जाता रहा है। यूरोप में 18वीं सदी में हुई प्रौद्योगिकी क्रान्ति के बाद भी स्थिति एवं विचारधारा में कोई अन्तर नहीं आया। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे विषयों में कुछ प्रतिशत स्त्रियाँ ही प्रवेश लेती थी, संचार एवं तकनीकि की शिक्षा महिलाओं के लिए सदैव कठिन कार्य माना गया, क्योंकि इनके लिये महिलाओं को घर के बाहर जाकर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि स्त्री को घर की शोभा व सम्पत्ति माना जाता है इसलिए ग्रहवाह्य कार्य बेहद मुश्किल मान लिया गया।

शोध विषय–

आधुनिक संचार का विकास और उसके साथ–साथ वैश्वीकरण ने महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र में प्रस्थिति सुधार देखा जा सकता है। भारत में, जहाँ महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से सीमित रही है, डिजिटल युग ने उन्हें न केवल अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी माध्यम प्रदान किया है। आजमगढ़, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर शहर है, यहाँ की महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ की महिलाएँ अब मोबाइल एप्लिकेशनों, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। इससे उन्हें न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर मिला है। तकनीकी नवाचार ने उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करने का नया तरीका प्रदान किया है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँच सकें। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी, डिजिटल विभाजन, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता, और पारिवारिक तथा सामाजिक समर्थन की कमी जैसे कारक कई महिलाओं के लिए बाधाएँ बनते हैं। इसके अतिरिक्त, आजमगढ़ जैसे शहरों में महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का सामना भी करना पड़ता है, जो अक्सर उनके आगे बढ़ने के सपनों को बाधित करते हैं।

महिलाओं की परिस्थिति कब और कैसे निम्न हो गई? वह कब शक्तिहीन हो गई? यह सब जानने के लिए हमें इतिहास में झांकने की आवश्यकता है। यदि हम भारतीय समाज व्यवस्था के शुरूआती वैदिक

युग में महिलाओं का स्थान देखे तो पुरूषों के समान था। कहीं–कहीं तो महिलाओं का स्थान पुरूषों से ऊपर था क्योकि महिलाएँ पुज्यनीय थी। महिलाओं की उपासना यहाँ शक्ति के रूप में होती थी। "भारतीय समाज व्यवस्था इतिहास और वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह काल महिलाओं के उत्थान एवं पराकाष्ठा का काल था। पी०एन० प्रभू ने हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, में लिखा है, कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था स्त्री पुरूष में कोई भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समाज रूप से महत्वपूर्ण थी।

वैदिक काल में महिलाओं की परिस्थिति पुरूष के समान थी परन्तु उत्तर वैदिक काल आते आते समय के साथ–साथ महिलाओं की परिस्थिति में ह्रास होता चला गया। वैदिक काल में नारी वंदना शीर्ष पर थी किन्तु ब्राह्मण काल आते जाते उसमें कुछ गिरावट परिलक्षित होने लगी तथा वैदिक नारियों की सत्ता क्षीण होने लगी और आदि कालीन मातृसत्तात्मक समाज में स्त्रीशक्ति की जो अराधना उसके अति मानवीय शक्ति के रूप में हुई वह उपास्य होकर भी मानव जगत से अलगाव की स्थिति में आने लगी।

समय के साथ कुछ ऐसे कारक समाज में आये जिन्होनें महिलाओं की स्थिति को दयनीय बना दिया। महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाने में सबसे बड़ा कारक वाहय आक्रमण है। जिसने समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सतीप्रथा, जैसे घृणित समस्याओं का समावेश किया जिसने महिलाओं को वस्तु में परिवर्तित कर दिया। महिलाओं की इस दयनीय स्थिति का सीधा प्रभाव उनके परिवार मुख्यतः उनके बच्चों के लालन पालन पर पड़ने लगा। और पड़े भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जिस स्त्री की दशा स्वयं दयनीय हो वह किसी भी देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का मार्गदर्शन एवं लालन पालन बेहतर ढंग से कैसे कर सकती है। जिन स्थितियों में स्त्रियों शिशुओं को जन्म देती है तथा जिन परिस्थितियों में बच्चें पलते है वे इतनी दयनीय है कि भारतीय मूल पूरी तरह विकृत हो जाता है। रुग्ण बच्चे पैदा होते है तथा आगे चलकर वे जर्जर युवा के रूप में दिखाई पड़ते है। माताओं द्वारा बच्चों की उपेक्षा तथा कंजूसी से भारतीयों की एक पूरी पीढी श्उद्यमशीलताश खो चुकी है। इसी लिए भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ा। अतः बच्चे उत्तम परिस्थितियों में जन्म लेकर पले–बढ़े।

इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं की प्रस्थिति एवं दशा में सुधार से ही समाज की प्रस्थिति में सुधार आयेगा और तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिज वास्तविक समस्या यह है कि आखिर महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार आये कैसे ? नारीवाद एक ऐसी विचार धारा है तो महिलाओं को शोषण के विरूद्व लड़ने के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करती है तथा महिलाओं को लामबन्द करती है। नारीवाद एक ऐसी विचारधार है जिसके आधार पर महिला मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। इसके अनेक रूप है, अलग अलग प्रवृतियाँ है जिन्हें समय समय पर अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। एक लक्ष्य सब में समान है। महिला होने के नातें उसका जो शोषण किया जाता है उनका मूल खोजा जाए और जड़ से उखाड़ फेका जाए।

यदि महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारणों को देखा समझा जाये तों उसके जड़ में कही न कहीं उत्पादन के साधनों से उनका सम्बन्ध एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था बहुत हद तक जिम्मेदार है। मौजूदा समाज में औरत की असमानता, असमर्थता एवं प्राचीन रूढियों से घिरी हुई उसकी चेतना के लिए वे सामाजिक शक्तियाँ जिम्मेदार है, जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है। ये शक्तियाँ पुरुष प्रधान दृष्टिकोण को अपने हितों की रक्षा एवं औरत के उत्पीड़न के लिए वैचारिक धरातल पर इस्तेमाल करती है। इन शक्तियों

का अंतर्राष्ट्रीय सहजिया संप्रदाय है। विश्व में सर्वत्र पारस्परिक कृषक समाजों में विस्तृत परिवारों की प्रधानता रही है। प्रायः ऐसे परिवार पितृस्थानीय तथा पितृसत्तामक थे। इस प्रकार के परिवारों में महिलाओं की सापेक्षतया अधीनस्थ स्थिति थी।

वैश्विक स्तर पर महिला निर्णय क्षमता–

मानव समाज को पूरी तरह मुक्त होने के लिए महिलाओं को भी पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा। नारी–विमर्श को नारीमुक्ति मुहिम न कह कर मानव मुक्ति कहना चाहिए। मानवमुक्ति में नारीमुक्त की भूमिका निर्णायक है। नारीवाद की शुरूआत को यदि हम अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर देखे तो यह उन्नीसवी शताब्दी से शुरू हुआ और इसके कई दौर आये। "इक्कीसवीं शताब्दी में नारीवाद का तीसरा दौर शुरू हुआ पर कुछ लोग तो मानते हैं कि यह उत्तर नारीवाद का दौर है। आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार "फेमिनिज्म" की शुरूआत 1894 में हुई। लेकिन सबसे पहले इस शब्द का उपयोग उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन और अमेरिका में शुरू हुआ नारी आन्दोलन बीसवीं शताब्दी में सारी दुनिया में फैलता गया। फ्रांस की विख्यात लेखिका सिमोन द बोउवों ने एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी "सेकेण्ड सेक्स" (1949) इसने नारीवाद का वैचारिक आधार प्रस्तुत किया। मदाम गूल ने फांस की क्रान्ति के समय पहली बार नारी के अधिकारों को चिन्हित किया और अलेक्सांद्रा कोतोंताई ने रूस की क्रान्ति के बाद नारी के यौन अधिकारों की बात करके नारीवाद को उसकी परिणति तक पहुँचाया।

नारीवादीयों ने समय–समय पर कई सारे आन्दोलन किये, समय के साथ इनके सारे वैचारिक आधार पर पंथ बने। और इन्हीं आन्दालनों के परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च 1975 को ष्अंतराष्ट्रीय महिला दिवसष मनाने की शुरूआत की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेजों को मान्यता दी गई। इनमें सन् 1979 की "कन्वेंशन ऑन दी एलिमिनेशन आफ ऑल फार्मस आफ डिसक्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन" अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियेना के मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिलाओं के अधिकारों को भी मानवाधिकारों के रूप में स्वीकृति मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्र में महिला का सशक्त जीवन–

यदि भारत में महिलाओं के प्रस्थिति में सुधार के प्रयासों को देखा जाये तो यह अनौपचारिक रूप से तो कई बार किया गया जो असंगठित एवं कम विस्तृत थे। महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार के लिए औपचारिक शुरूआत 1817 से माना जा सकता है। "1817 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य पंडित मृत्युंजय विहालंकार ने घोषणा की कि सती की कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है, इसके एक वर्ष बाद यानी 1818 में बंगाल के तत्कालीन प्रांतीय गर्वनर विलियम बैटिंक ने प्रांत में सतीप्रथा पर रोक लगा दी। इसी समय से लगभग राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, दीवान बहादुर रघुनाथ राव (दक्षिण भारत में) आदि उन्नीसवी सदी से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करते रहे। इन्हीं लोगों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाल विवाह, सति प्रथा, विधवा पुर्नविवाह निषेध, आदि कुरीतियाँ समाप्त हो सकी। बीसवीं सदी में इस कार्य को महात्मा गाँधी जी के द्वारा आगे बढाया गया। गाँधी जी का मानना था "जब तक आधी मानवता की आँखों में आँसू है, मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती।" आजादी के बाद संविधान के निर्माण में भी इस बात को ध्यान में रखकर ही संविधान निर्माण किया गया जिसमें सभी की

समानता को महत्व दिया गया। समय–समय पर आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन भी किये गये आवश्यकतानुसार।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14) राज्य द्वारा कोई भेदभाव न करने (अनुच्छेद 15 (1)) अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ) की गारंटी देता है। काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियां सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 42)। संविधान में तो स्त्री पुरूष समानता का प्रावधान हो गया। सरकार द्वारा इसके अलावा कई सारे कल्याणकारी कार्यक्रम भी समय–समय पर चलाये गये। देश के संविधान में औरत की समानता, उत्पीड़न से मुक्ति एवं सामाजिक न्याय की अनेकों पवित्र घोषणाएं शामिल है। पर व्यवहार में इनका अमल दूर–दूर तक दिखाई नहीं देता। केवल संवैधानिक प्रावधान या कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार करने के बजाए अब उन्हें सशक्त करने का प्रावधान चल रहा है। जब तक वह सशक्त नहीं होंगी वे अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं कर सकती। सशक्तिकरण को समझने से पहले सशक्तिकरण क्या है यह जानना आवश्यक है। ”गीता सेन और करेन ग्राऊने ने अपनी पुस्तक विकास संकट और वैकल्पिक दृष्टिया” (1987) में सर्वप्रथम ”एम्पाउमैण्ट” शब्द का प्रयोग किया। बाद में विकासात्मक समाजशास्त्र और महिलाओं के जीवन में सुधार में रूचि रखने वाले विद्वानों ने इसका प्रयोग लिंग सम्बन्धों में किया।

सशक्तिकरण का अर्थ है विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग कर रोजमर्रा के मुद्दों का समाधान करना। महिला सशक्तिकरण से हमारा अभिप्राय है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना अर्थात् महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर ढंग से समायोजन करके बाह्य परिवेश में स्वायत्तता प्राप्त कर सकने की क्षमता प्रदान करता है। सशक्त महिला किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता रखती है।

महिला सशक्तिकरण के लिए कई आन्दोलन समय समय पर चलाए गए। महिला आन्दोलनों के जनक जे०एस० मिल ने अपनी पुस्तक "Subjection of Women" में लिखा है कि महिलाओं के साथ किए जा रहे असमान एवं अमानवीय व्यवहार को यथाशीघ्र बदलना होगा। उन्हें पुरूषों के समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रदान करने से ही समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव होगा। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं को सम्मिलित करने से है। भारत में महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ”महिला एवं बाल विकास विभाग” की स्थापना की गई। तत्पश्चात् 1992 में ”राष्ट्रीय महिला आयोग” का गठन किया गया। सन् 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा और इसी वर्ष ”महिला सशक्तिकरण वर्ष” मनाने से महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को नई दिशा प्राप्त हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 8 मार्च 2010 से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का शुभारंभ किया गया। इसके तहत गठित राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष समकालिन प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह थे। इस प्राधिकरण में आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा पाँच सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

महिला सशक्तिकरण करने के लिए कई माध्यमों का सहारा लिया जाता है। उन्हीं माध्यमों में से एक माध्यम सूचना एवं संचार तकनीक है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकी से सभी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के लोग थोड़ा या ज्यादा परिचित है, यह माध्यम त्वरित तथा आधुनिक है। "संचार का माध्यम जिसने विकास की दर तथा आधुनिकीकरण के सांस्कृतिक प्रसार को बढ़ावा दिया है भारत में पश्चिम सम्पर्क की देन है।" संचार के तकनीकों से लोगों तक सूचनाओं का सम्प्रेषण जल्द से जल्द होता है। इन सभी माध्यमों में से सूचना एवं संचार तकनीक वर्तमान समय में शीघ्रतम है। इस तकनीक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना सरल है। क्योंकि यह तकनीक महिलाओं को घर बैठे सारी दुनिया से परिचित कराता है। यह तकनीक क्या है और इसका विकास कैसे हुआ यह जानना भी आवश्यक है।

सूचना एवं संचार तकनिकी का परिदृश्य–

अमेरिका की पेंटागॉन ऐडवास्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (एआरपीए) ने 1969 में एआरपीएनेट के रूप में इंटरनेट की शुरूआत की थी। एआरपीएनेट कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ने और डाटा भेजने हेतु विकसित की गई। इस प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कंट्रोल / प्रोटोकाल / इण्टरनेट प्रोटोकाल कहा गया। अमेरिका में सैनिक मुख्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस एआरपीएनेट का उपयोग रक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी करना शुरू कर दिया। इन्होंने इलेक्ट्रानिक मेल का तरीका भी विकसित किया जिसे "ई–मेल" की संज्ञा दी गई। अमेरिका में इण्टरनेट केवल सैनिक संगठनों और रक्षा संस्थनों के पास था। बाद में यह विभिन्न शैक्षिक और गैर सरकारी संस्थाओं को भी प्राप्त हो गया।

1979 में एक सैनिक नेटवर्क "यूजनेट न्यूज" के रूप में इन्टरनेट का सार्वजनिक विस्तार हुआ लेकिन यह भी सरकारी नियंत्रण के अधीन था। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिकी सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशनश के माध्यम से पाँच सुपर कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की जो इण्टरनेट के प्रमुख संयोजक बिन्दु बने और इनके द्वारा कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ा गया। 1983 तक लगभग 500 ऐसे कम्प्यूटर बन गए थे जिनसे इण्टरनेट की सुविधाएं प्राप्त होने लगी थी. इन्हें होस्ट कम्प्यूटर कहा जाता था। नौवे दशक में सूचना क्रान्ति के क्षेत्र में पर्सनल कम्प्यूटर का जन्म हो गया। आगे चल कर मेनफेम के स्थान पर माइक्रो कम्प्यूटर का उपयोग होने लगा जिसे डेस्क टाप कम्प्यूटर, पर्सनल कम्प्यूटर या पीसी कहा जाने लगा। इण्टरनेट के क्षेत्र में 1990 में बर्ल्ड वाइड वेब का अविष्कार हो गया। इसके बाद आया ग्राफिक ब्राउजर का युग, इसका आविष्कार "मार्क एंड्रीसन" नामक एक विद्यार्थी ने किया। मोजाइक के माध्यम से विश्वव्यापी संजाल (www) से सूचनाएं प्राप्त की जाने लगी। इस घटना ने इण्टरनेट को आम लोगों तक पहुँचा दिया।

भारत में सूचना एवं संचार तकनीक–

भारत में इंटरनेट की शुरूआत लगभग 20 वर्ष पहले हुई। सर्वप्रथम सैनिक अनुसंधान नेटवर्क (ईआरनेट) ने शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग शुरू किया। ईआरनेट भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक विभाग तथा यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक संयुक्त उपक्रम था। एनसीएसटी, मुंबई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क प्राप्त होने लगा। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने गेटवे इण्टरनेट एक्सेल सर्विस (जी आई ए एस) की स्थापना वाणिज्यिक तौर पर हुआ। इसने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलूर और पूणे में यह इण्टरनेट नोड स्थापित किए। दूरसंचार विभाग से मिलकर इसने

देश के अन्य बड़े शहरों को भी इण्टरनेट से जोड़ा। तत्पश्चात् दूरसंचार विभाग ने आईनेट नामक नेटवर्क के द्वारा देश के इण्टरनेट से जोड़ने का काम शुरू किया। इस समय भारत में तीन सरकारी एजेंसिया इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) थी। दूर संचार निगम लिमिटेड। 1994 की उदारीकरण नीति ने इस क्षेत्र में कम्पनियों के प्रवेश के लिए भी रास्ता खुल गया। सरकार द्वारा बनाई गई इण्टरनेट नीति के परिणामस्वरूप कई देशी विदेशी कम्पनियाँ आज भारत के इंटरनेट प्रेमियों को इण्टरनेट सुविधाए उपलब्ध करा रही है।

डिजिटल इण्डिया को 20 अगस्त 2014 को मंजूरी प्रदार की गई। इस योजना का उद्देश्य लोगो तक आसानी से सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना और आधुनिकतम सूचना और संचार तकनीक से लोगों को फायदा पहुंचाना है तथा डिजिटल माध्यम से साक्षरता के जरिए नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके। डिजिटल इण्डिया के द्वारा सभी सरकारी कागजात / प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जायेगें। यदि सुचनाओ को डिजिटल कर दिया जाए और सम्प्रेषण को आसान बना दिया जाए तो सरकार की विभित्र कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होगी।

आने वाले कुछ सालों में सूचना एवं संचार तकनीक लोगों की जीवन रेखा बन जायेगी जो लोगो को आसानी से घर बैठे ही बहुत सारी जानकारियां प्रदान करेगा। किसी को भी अपने अधिकारों एवं अपने लिए चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में आसानी से जानकारी हो जायेगी। इस योजना के द्वारा सारे विभागों के दस्तावेज क्लाउड पर होने से यह सभी के पहुँच में होगी। इस व्यवस्था के बाद महिलाएं अपने अधिकारों से आसानी से परिचित होगी तथा अपने लिए चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यकमों का लाभ उठा सकेगीं। सूचना एवं संचार तकनीक महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत बड़ी एवं अहम् भूमिका अदा करेगा, और वर्तमान में भी कर रहा है। इस तकनीकी का लाभ उठा कर महिलाएं जागरूक एवं सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है। सूचना एवं संचार तकनीक के मार्ग में शिक्षा एवं भाषा एक अवरोध के रूप में सामने आया है। बहुत सारे विकासशील देशों में एक प्रतिशत से भी कम महिलाएं एवं पुरूष इण्टरनेट का इस्तेमाल करते है। एशिया में कुल इण्टरनेट युजर्स में 22 प्रतिशत महिलाएँ ही इण्टरनेट का इस्तेमाल करती है।"

संचार क्रान्ति को तेजधार बनाने में प्रौद्योगिकी के योगदान को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता और वही विकासात्मक गति ने संचार में वैकल्पिक मीडिया के नए आयामों जैसे– इण्टरनेट, सैल्यूलर फोन, टेलीफोन, फैक्स, स्थानीय वेतार लूप, ई–चौपाल, टेलीफोन डाकिया, ग्रामीण टेलीफोन सेवा दूरसंचार आदि को उभारने का कार्य किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक के इस दौर में यह प्रौद्योगिकी लोगो पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। यह प्रौद्योगिकी कम या ज्यादा सबके इस्तेमाल में आती है। यही कारण है कि यह विषय महिलाओं के इस प्रौद्योगिकी से परिचय का पता लगाने का तथा इससे कितनी प्रभावित है यह जानना है।

सुझाव–

- सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यमों का क्षेत्रीय भाषा में होना आवश्यक है क्योंकि सभी महिलाओं को अंग्रेजी का ज्ञान नही होता।

- सूचना एवं संचार तकनीक सरकार द्वारा के इस्तेमाल को आत्तान बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- सूचना एवं संचार तकनीक से सम्बन्धित शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी के लिए प्रावधान होना आवश्यक है। क्योंकि ICT से सम्बन्धित शिक्षा मंहगी है और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या कम हे तथा प्राइवेट तंत्र में नौकरियां बहुत कम आय पर प्राप्त होती है।
- सूचना एवं संचार तकनीक के इस्तेमाल के लिए भारत में वर्तमान समय में बेहतर आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता है।
- सुदूर क्षेत्रों में इण्टरनेट कनेक्सन नही है यदि है भी तो वह हमेशा खराब होते रहते है। इसके लिए उचित प्रावधान की आवश्यकता है।
- सेटेलाइट से प्रदान की गई इण्टरनेट सेवा की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी क्षमता आवश्यकता से अत्यधिक कम है। साथ ही साथ यह मंहगा भी है। इसे लोगों के बजट में करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं को इण्टरनेट कनेक्सन पर विशेष छुट देने की आवश्यकता है। जिस कारण यदि उनकी आय कम भी है तो भी वह इन्टरनेट कनेक्सन ले सके।
- मोबाइल बिल पर भी महिलाओं को छूट देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मोबाइल केवल सशक्तिकरण ही नही करता अपितु यह इनकी सुरक्षा भी करता है। यह महिलाओं को सम्पर्क में बनाये रखता है चाहे वह जहाँ भी जाये।
- बिजली एक आवश्यक कारक है इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए इस कारण बिजली की सही व्यवस्था होना आवश्यक है।

निष्कर्ष—

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएँ. अपनी दक्षता एवं रचनात्मकला का परिचय दे रही हैं। फैशन डिजाइनिंग, इन्टीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चर, एनीमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्री लांसार के तौर पर महिलाएं अब घर बैठे कार्य कर रही है। क्योंकि टेलीवीजन, इन्टरनेट, बी.डी. ओ. कॉन्फ्रेंसिंग और आधुनिकतम संचार संसाधनों ने उनके लिए सभी आवश्यक सुविधायें और श्बाजारश घर पर ही उलपब्ध करा दिया है। विशेष रूप से ग्राफिक डिजाइनर्स के रूप में महिलाओं को कैरियर के अनेक अवसर उपलब्ध करा दिये हैं। विज्ञापन एजेंसियों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, जन सम्पर्क विभाग तथा फिल्म और टेलीवीजन के क्षेत्र में ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त साउण्ड एडीटर, इमेज एडीटर, मल्टी मीडिया प्रोग्रामर, कन्टेन्ट डेवलपर आदि के रूप में महिलाएं अच्छा धनोपार्जन कर सकती है। इससे डिजिटल क्षेत्र में भी उनकी अच्छी सम्भावनाएं उत्पन्न होती है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक सूचना व संचार तकनीकि ने भारतीय महिलाओं की समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है, विशेषकर आजमगढ़ जिले में। हालांकि, डिजिटल युग में इस भूमिका के साथ अनेक चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि तकनीकी ज्ञान की कमी, वित्तीय संसाधनों की अभाव, और पारंपरिक सामाजिक संरचनाएँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, समाज में महिला के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की भी आवश्यकता है। इस

प्रकार, अगर सही उपाय किए जाएं, तो आजमगढ़ क्षेत्र की महिलाएँ न केवल डिजिटल युग में अपनी पहचान बना सकेंगी, बल्कि भारतीय सामाजिक क्षेत्र में व संचार युग में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी।

संदर्भग्रन्थ सूची–

1. जनसंचार: बदलते परिप्रेक्ष्य में, डॉ० बलबीर कुन्दरा, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009.
2. Hafkin Nancy and Taggart Nancy (2001), "Gender, information technology, and developing countries: An analytical". http://www.comminit.com/en/node/1861.
3- kinkini Dasgupta Mishra (2004); Information . Communication Technology for Women's Empowerment in India. http:www.limaahad.ernet.in/egov/iftp/aug2004/article4.htm.
4. Pande, Rekha. (2004), "Digital Bridge or Digital Divide - Assessing Gender Equations and the Indian Experience in Information and Communication Technologies" Paper presented at the annual meeting of the international Studies Association, Quebec, Canada, Mar. 17, 2004 <Not Available>. http://www.allacademic.com/meta/p73094 index.html. 2010–04–24.
5. छापड़िया, मनोज 2008, स्त्री–शिक्षा सामाजिक गतिशीलता नई दिल्ली, सेरियल पब्लिकेशन।
6. एन्थनी, गिडेन्स 1990, दि कॉन्सीक्वेन्सेज ऑफ मॉडरनिटी अमेरिका : स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. ससेन, ससकिया, 1991 दि ग्लोबल सिटी, न्यूयार्क प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. खेतान, प्रभा, 2007, भूमण्डलीकरण, बॉड संस्कृति और राष्ट्र. नई दिल्ली : सामयिक अध्ययन ।
9. रेमण्ट, टी0, 1968, मार्डन एजुकेशन, लंदन लागमेन ग्रीन एण्ड कम्पनी।
10. दुर्खाइम्, एमिल, 1922, एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी गलेन्को फ्री प्रेस।
11. डेवे, जॉहन, 1963, डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोसे जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
12. दुबे, एस०सी०, 1994, शिक्षा समाज और भविष्य, नई दिल्ली राधाकृष्णा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।
13. गोरे, एम०एम०, 1994, इण्डियन एजुकेशन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोसेस, जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
14. अग्रवाल, जे0सी0, 2009, भारत में नारी शिक्षा नई दिल्ली विद्या विहार प्रकाशन ।
15. आहूजा, राम, 1992, राईट ऑफ ओमेन ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
16. सोरोकिन, पी०ए० 1937, सोशियल एण्ड कल्चरल डानेमिक्स, न्यूयार्क : अमेरिकन बुक कम्पनी।
17. अग्रवाल, बीना, 1995, ए फील्ड ऑफ वन्स आउन जेण्डर एण्ड लैण्ड राईट इन साउथ एशिया, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
18. पारसन्स, टालकट, 1960, स्ट्रक्चर एण्ड प्रोसेस इन मॉर्डन सोसाइटीज, न्यूयार्क : दी फ्री प्रेस।
19. शर्मा, राधा कुमार 2002, लड़ाई मताधिकार की, उत्तरा पत्रिका, जनवरी–मार्च।
20. अग्रवाल, शशि रानी 2006, स्त्री वर्तमान सन्दर्भ में, राजधानी प्रिन्टर्स, दिल्ली।